बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि ४ मार्च, १९५२ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

गत सत्र से लंबित अतारांकित प्रश्नों के उत्तर।

Answers of questions pending from the last session.

माननीय श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—माननीय अध्यक्ष. गत सत्र से लंबित ४१ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मैं मेज पर रखता हूं।

दरभंगा जिला के दलसिंगसराय थाना के ग्राम क्योटा के विन्देश्वरी प्रसाद चौधरी के विरुद्ध आरोप।

१। श्री राम गुलाम चौधरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि श्री विन्देश्वरी प्रसाद चौधरी, सा० क्योटा, थाना दलसिंगसराय, दरभंगा इसी ग्राम के श्री रामदेव चौधरी की जमीन की उपज लूट लिया करते हैं, जिसकी दरखास्त ता० २३ नवम्बर, १९४८ को आपके पास आई थी;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या यह बात सही है कि श्री रामदेव चौधरी ने उसी तारीख को उसी विषय की दरखास्त कलक्टर, दरभंगा और सबडिवीजनल अफसर, समस्तीपुर के पास भी भेजी थी;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उक्त औफिसरों के उक्त दरखास्त पर क्या कार्रवाई की है?

माननीय डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह—(क) और (ख) यह सही है कि श्री विन्देश्वरी प्रसाद चौधरी के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर का एक आवेदन-पत्र, जो माननीय मुख्य मंत्री के नाम था, सरकार को मिला। सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह आवेदन-पत्र गुमनाम था।

(ग) और (घ) यह सही है कि इसी तरह का एक आवेदन-पत्र २२ नवम्बर, १९४९ को समस्तीपुर के एस० डी० ओ० को मिला यद्यपि आवेदन-पत्र देने वाले का नाम उस पर नहीं था। उसने अपने को क्वेटा का एक गरीब काश्तकार बताया और यह आरोप लगाया कि श्री विन्देश्वरी प्रसाद चौधरी जो एक प्रभावशाली जमींदार हैं, उसे झूठे फौजदारी और दीवानी मुकदमों के जरिए तंग किया करते हैं और उसकी फसल लूट लेते हैं। आवेदक ने इस बात का अनुरोध किया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाय क्योंकि फिर फसल के लूटे जाने का डर था। स्थानीय पुलिस ने जांच की और उस समय यह रिपोर्ट दी कि मामले का पूरा पता नहीं चलता, क्योंकि दरखास्त देने वाले ने अपना नाम नहीं दिया था। फिर भी यह पता चला कि गांव में दो दल थे—एक विन्देश्वरी प्रसाद चौधरी का और दूसरा कुलदीप नारायण चौधरी का। वे एक दूसरे के विरुद्ध दरखास्त दिया करते और मुकदमा दायर किया करते थे। मामले की जांच आगे भी की गई है और स्थानीय पुलिस ने २६ नवम्बर, १९४९ को दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन अपनी रिपोर्ट उस झगड़े के संबंध में दे दी है जो १३ प्लाट जमीन के लिए है और जिसमें एक ओर रामदेव चौधरी और सात अन्य हैं और दूसरी ओर विन्देश्वरी प्रसाद चौधरी और तीन अन्य हैं। यह कार्यवाही १ फरवरी, १९५० को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ में बदल दी गई है और समस्तीपुर के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रही है।

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—बिहार शरीफ और सोह में आम जनता को मकानों में बिजली लगाने के लिये पूरी सुविधा दी जाती है। लेकिन व्यवसाय सम्बन्धी कार्य-शाला को अभी तक बिजली नहीं दी जा रही है। जब सोह के सब-स्टेशन को शक्ति किया जायगा तब उन लोगों को बिजली मिल सकेगी।

FURNITURE FOR THE NEW ENLARGED ASSEMBLY.

36. Shri **AMIYO KUMAR GHOSH**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Public Works Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the tenders were called for the supply of furniture for the new enlarged Assembly;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, the names of the parties who submitted their tenders and whose rates were the lowest;

(*c*) whether it is a fact that orders for supply of the same have been placed with a European firm of Calcutta;

(*d*) whether there was any other tender for the same;

(*e*) if the answers to clauses (*c*) and (*d*) be in the affirmative, the reasons for not placing the orders with the local firms?

The Hon'ble Shri ABDUL QAIYUM ANSARI: (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) The tenderers were—(*i*) Sethy Brothers of Delhi, (*ii*) M/s. Grant James, Limited of Calcutta, (*iii*) Shri Badri Mistry of Patna, (*iv*) Kumar and Kimar of Patna, (*v*) M/s. Ram Prasad and Sons of Patna.

The tender of Shri Badri Nath Mistry was the lowest.

(*c*) and (*d*) The reply is in the affirmative.

(*e*) It has been reported that none of the local firms had furniture of the standard and quality required for the work. On the other hand M/s. Grant James, Limited were tried firm of furniture suppliers which are reported to have given full satisfaction in the supply of furniture for the Cabinet room in the Secretariat. M/s. Grant James were, therefore, selected for this supply also by local officers.

प्राथमिक शिक्षकों की बढ़ती तथा भत्ता।

३७। श्री सुन्दर महतो पासी—क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षकों की बढ़ती तथा डी० ए० भत्ता का रुपया प्रति मास नहीं मिल कर छः मास या वर्ष के अन्त में मिलता है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार इस दुर्मिक्ष के समय प्रति मास बढ़ती तथा डी० ए० का रुपया दे देने का विचार करेगी;

(ग) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर म्युनिसिपैलिटी के प्राथमिक शिक्षकों को स वर्ष केवल ११ महीने का एक ही अनुदान दिया है, यदि हां, तो क्यों?